अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जनवरी 2010 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

लाल सलाम!

कामरेड ज्योति बसु

कामरेड ज्योति बसु अमर रहें

कामरेड ज्योति बसु अमर रहें

श्रमिक आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन शिखर पुरुष कामरेड ज्योति बसु के निधन पर ''पत्रिका'' गहरा शोक व्यक्त करती है। वह 95 वर्ष के थे। उनका देहांत हो जाने से देश ने मजदूर वर्ग तथा जनवादी आंदोलन के एक महान नेता को खो दिया है। वह जहां राजनीतिक दूरद्रष्टा थे वहीं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्तियों में से एक थे। वह सीआइटीयू के संस्थापक नेताओं में से एक थे और उसकी स्थापना के समय से ही वह उसके उपाध्यक्ष रहे और अंतिम सांस तक इस पद पर बने रहे। वह 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री रहे।

ज्योति बसु जब 22 वर्ष के थे, उनके परिवार वालों ने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड रहते समय वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में अपनी गतिविधियों के साथ–साथ वह हैरी पोलित, रजनी पाम दत्त इत्यादि ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के प्रख्यात नेताओं के सम्पर्क में आकर मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। इंग्लैंड में मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने पर ही उन्हें गोदी मजदूरों तथा नाविकों से सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा मिली थी। भारत लौटने पर वह पुरा वक्ती कार्यकर्ता के रूप में कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें तत्काल गोदी मजदूरों के बीच काम करने के लिए कहा और जल्द ही उन्हें रेलवे मजदूरों को संगठित करने का काम सौंपा गया।

वास्तव में भारतीय रेल मजदूरों के बीच काम करने के माध्यम से एक जन नेता के रूप में ज्योति बसु का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। वह बंगाल–असम रेलरोड यूनियन के महासचिव बनाए गए। वह वर्ष 1946 में रेलवे के चुनाव क्षेत्र से बंगाल (अविभाजित) विधान सभा के लिए चुने गए।

उन्होंने पूरे छः दशक कम्युनिस्ट आंदोलन में काम किया; यह अवधि घटनापूर्ण रही और इस दौरान उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां दी गईं और पूरी योग्यता के साथ उन्होंने इन जिम्मेदारियों को पूरा किया। वह 1953 से लेकर 1961 तक सीपीआइ की प्रांतीय समिति के सचिव रहे। उन्हें 1951 में सीपीआइ की केन्द्रीय समिति का सदस्य बनाया गया। सीपीआइ (एम) की स्थापना होने पर वह इसकी पोलित ब्यूरो तथा केन्द्रीय समिति के संस्थापक सदस्य बने और जीवन के अंतिम समय तक इन दोनों पदों पर काम करते रहे। वह पीपुल्स डेमोक्रेसी के पहले सम्पादक थे।

ज्योति बसु 1967 तथा 1970 में दो बार पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकारों में उप मुख्य मंत्री बने। 1977 में वाम मोर्चा को जबरदस्त सफलता मिलने पर वह वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री बने और 23 वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर बने रहे जो अपने में एक रिकार्ड है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार और पंचायती राज की स्थापना ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा सरकार की एक विशेष उपलब्धि रही थी। ये काम अभूतपूर्व थे।

ज्योति बसु के नेतृत्व में चलने वाली वाम मोर्चा सरकार ने मजदूर वर्ग और साधारण लोगों के आंदोलन की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अनेक विधायी और प्रशासकीय निर्णय लिए और उन्हें लागू किया था। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार जिसमें हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल है, उनकी सरकार का श्रमिक आंदोलन के लिए बुनियादी योगदान है। गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने का कानून, पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देना उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ शानदार कदम रहे हैं। ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श करके औद्योगिक विवादों का समाधान करना, मजदूरों के खिलाफ पुलिस का दखल न होना उनकी सरकार की श्रम नीति का प्रतीक था।

ज्योति बसु ने ''केन्द्र–राज्य सम्बन्धों'' के मुद्दे को देश के राजनीतिक एजेंडे में लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी जिसमें शासन तथा संसाधनों की बांट के प्रश्न पर राज्यों के अधिकार बढ़ाने पर प्रमुख तौर पर जोर दिया गया था। यह मुद्दा देश की अखण्डता तथा उसके लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में बेहद निर्णायक रहा।

उन्होंने महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में जनवादी अधिकार हासिल करने पर जोर दिया था। इस तथ्य से यौन समानता के लिए उनकी जोरदार प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित होती है। पश्चिम बंगाल में पंचायतों में 33 प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं जो दूसरे राज्यों में निर्धारित 33 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। उन्होंने महिलाओं के राजनीति में आने और वाम मोर्चा की ओर से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करने की जरूरत के महत्व पर जोर दिया था।

मजदूर वर्ग और साधारण जनता के लिए उनके समर्पण की विरासत को बनाए रखना, सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए संघर्ष आगे बढ़ाना, साम्प्रदायिक, जातिवादी तथा दूसरी सभी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ अथक एवं दृढ़ संघर्ष चला कर ही हम ज्योति बसु को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कर सकते है।

नव वर्ष में
एकजुटता और संघर्ष तेज करो

'फूट डालो और राज करो'. अंग्रेजी शासकों की नीति थी। भारतीय शासक वर्ग ने न केवल इसे सीखा है बल्कि इसमें निपुणता प्राप्त की है। जनता के बीच फूट डालने और उनकी दैनिक समस्याओं की ओर से उनका ध्यान हटाने के लिए धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि जैसे प्रत्येक भावना निहित मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाया जाता है।

यूं तो इसके बहुत से उदाहरण आपको मिल जाऐंगे परन्तु हाल ही की बात करें तो लगभग पिछले पखवाड़े से आंध्र प्रदेश में चल रहा उत्पात आंखों के सामने उभर आता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए किए गए प्रयत्नों को एक मुद्दा बना लिया गया। इस मुद्दे पर राज्यभर में कई लोगों की जानें चली गई, उनकी संपत्तियों को जला दिया गया। कांग्रेस पार्टी के बहुत से विधायक जिन्हें अभी हाल ही में पुनः जनता की सेवा के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर चुना गया है और वे अपनी नीतियों के समर्थन में बड़ी–बड़ी डींगें हांकते दिखाई दे रहे थे, अचानक त्यागपत्र दे दिया। वे अपने 'हाई कमांड' और केंद्र में उनकी स्वयं की सरकार के निर्णय के विरोध में खड़े हो गए थे। कौन सा निर्णय? तेलंगाना की पृथकता के विषय में।

भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि यदि तेलंगाना को पृथक करने कबायद शुरू की गई तो देशभर के बहुत से राज्यों में अलग राज्य बनाने की मांगों का तो जैसे पंडारा बॉक्स ही खुल जाएगा। इन राज्यों में शामिल होंगें– पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि। कई इसके समर्थन में होंगें तो कई विरोध में। अकेले आंध्र प्रदेश में ही रायलसीमा, उत्तरी आंध्र प्रदेश को अलग बनाने, हैदराबाद को यूटी का दर्जा देने इत्यादि जैसी मांगें सामने आएंगी यदि इसका विभाजन कर दिया गया।

स्वतंत्रता के बासठ सालों बाद भी केंद्र में शासन कर रही सफल सरकारें देश की जनता का संतुलित विकास सुनिश्चित करने में असफल रही हैं। इसमें कोई संदेह नही कि तेलंगाना के बहुत से क्षेत्र अब तक पिछड़े हुए हैं। यह भी एक सच्चाई है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों के कुछ जिले तेलंगाना से भी पिछड़े हुए जिले हैं। यही कारण है कि किसी भी राज्य या क्षेत्र की बहुमत जनता विकास के कुछ लड्डुओं से बहलने को नकार रही है, क्योंकि जनता इस प्रकार के लुभावनों से भली भांति परिचित है जोकि कुछ समय बाद किसी दफतर के किसी कोने में पड़े होंगें। स्वयं राज्यों में और राज्यों के भीतर भी इस तरह का भेदभाव भूमंडलीकरण, नीजिकरण और उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण मानव विकास सूचकांक तथा विश्व भूख सूचकांक में भारत की स्थिति गिरती जा रही है।

अब जब जनता का क्रोध इस आसमान छूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, मजदूर वर्ग के हमलों के खिलाफ सिर तक पहुंच चुका है; विशेषतः अब जब जनता महंगाई और खाद्य सुरक्षा के खिलाफ बड़ी भारी संख्या में लामबंद हो रही है, ऐसे समय में इंटक और बीएमएस भी भूमंडलीकरण और निजीकरण के प्रभाव के खिलाफ मजदूरों से संबंधित ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त मंच पर आने को मजबूर हुई हैं। इन भूमंडलीकरण और निजीकरण की नीतियों के अलगाववादी प्रदर्शन जनता और मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने और उनका ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। ऐसा होना नही चाहिए।

जनता को स्वयं शासक वर्ग की इन फूट डालने वाली खतरनाक नीतियों को समझकर और अपनी एकजुटता बनाए रखे हुए इनका सामना करना होगा। राज्यों का बंटवारा कर देना किसी समस्या का हल नही हो सकता; जनता को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को लागू करना ही इन समस्याओं का हल हो सकता है। और इसके लिए आवश्यकता है अपनी एकता बनाए रखना और संघर्ष को तेज करना।

नव वर्ष में हुई कामगार महिलाओं की कन्वेंशन में 2010 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के निर्णय की शताब्दी के अवसर पर आठ घंटे काम, समान वेतन एवं 33 प्रतिशत आरक्षण की मांगों के लेकर सालभर का अभियान और आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। आओ नव वर्ष पर हम इसे कामयाब करने और मांगों को हासिल करने का प्रयत्न करें।

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की नौवीं कन्वें ान

के हेमलता

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) की नौवीं कन्वेंशन गत 8–9 जनवरी, 2010 को तिरूवनंतपुरम केरल राज्य बिजली बोर्ड एम्पलाईज एसोसिएशन के कार्यालय बी टी आर मैमोरियल भवन के ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुई। कन्वेंशन स्थल का नामकरण अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की संस्थापक सदस्य अहिल्या रांगणेकर के नाम पर अहिल्या रांगणेकर नगर किया गया था।

इस कन्वेंशन में 17 राज्यों के 281 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो संगठित, असंगठित तथा परम्परागत क्षेत्रों में कार्यरत कामगार महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे द्वारा सीआइटीयू का झण्डा फहराए जाने के साथ कन्वेंशन शुरू हुई। स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा विधायक सिवन कुट्टी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। रंजना निरूला (सीआइटीयू केन्द्र), के पी मैरी (केरल), निशा राय (पश्चिम बंगाल), इंदुबाला दास (त्रिपुरा), प्रेमा (तमिलनाडु), धनलक्ष्मी (आंध्र प्रदेश) और संतोष रावल (हरियाणा) – सात सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की।

केरल के मुख्य मंत्री वी एस अच्युतानंदन को कन्वेंशन का उद्घाटन करना था। लेकिन उन्हें पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री और वरिष्ठ सीपीआइ(एम) नेता ज्योति बसु, जो कि गम्भीर रूप से बीमार थे, को देखने कोलकाता जाना पड़ा। उन्होंने कन्वेंशन में आने में असमर्थ रहने के लिए पत्र भेज कर खेद प्रकट कर प्रतिनिधियों का अभिनंदन और कन्वेंशन की सफलता की कामना की।

कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए पंधे ने कामगार महिला समन्वय समिति गठित करने के सीआइटीयू के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि कामगार महिलाओं को रोजगार के समय, वेतन में और पदोन्नति में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कामगार महिलाओं के लिए समान वेतन के लिए सीआइटीयू के संघर्ष के चलते समान मानदेय कानून बना। लेकिन इस कानून के बनने के 35 साल बाद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। कम वेतन वाले कामों में महिलाओं का संकेन्द्रीकरण है, जहां उन्हें न तो रोजगार की सुरक्षा हासिल है, न न्यूनतम वेतन और न ही मातृत्व लाभ या दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ हासिल हैं।

उनका कहना था कि यह सीआइटीयू ही था जिसने सबसे पहले 1979 में चेन्नई में अपने चौथे सम्मेलन के साथ ही साथ कामगार महिलाओं की एक विशाल कन्वेंशन का आयोजन किया था। उसका यह मानना था कि जब तक ट्रेड यूनियनें महिलाओं को संगठित कर उन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्यधारा में नहीं लाएंगी, तब तक सरकार की मजदूर विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़े और ताकतवर संघर्ष छेड़ना सम्भव नहीं होगा। यद्यपि तब से जारी निरंतर प्रयासों के चलते ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है और यूनियनों में नेतृत्वकारी पदों पर भी उनकी उपस्थिति में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह बढ़ोतरी संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे कामकाजी महिलाओं की उन व्यापक श्रेणियों को संगठित करें जो अभी भी ट्रेड यूनियनों के दायरे से बाहर हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्हें यूनियनों के निर्णयकारी निकायों में पदोन्नत करें।

समिति की संयोजिका के. हेमलता ने कन्वेंशन में रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की संक्षेप में रूपरेखा पेश कर यह नोट किया गया कि यह कन्वेंशन ऐसे समय आयोजित की जा रही है जब पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग पर हमले तेज हो रहे हैं। हमारे देश में ही लगभग 50 लाख मजदूरों को जिनमें बड़ी संख्या कामकाजी मजदूरों की है, भूमण्डलीय आर्थिक संकट के चलते अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। यह संकट तीस के जमाने की भारी मंदी के बाद सबसे बदतर आर्थिक संकट है।

हमारे देश समेत पूंजीवादी देशों की सरकारें जनता के धन में से बड़ी राशि बड़े कारपोरेट घरानों को बेल आउट

पैकेजों के रूप में दे रही हैं, किन्तु मजदूरों को कुछ भी नहीं मिल रहा जिनकी रोजी–रोटी का एकमात्र सहारा भी छिन गया है और जिनमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन अनेक देशों जिनमें विकसित पूंजीवादी देश भी शामिल हैं, में मजदूर वर्ग ने अपनी रोजी–रोटी पर हमलों के खिलाफ हड़तालों समेत बड़े संघर्ष आयोजित किए हैं।

दूसरी यूपीए सरकार पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव में हुई अपनी जीत की गलत व्याख्या कर रही है और इसे उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की अपनी नीतियों के लिए जनादेश की तरह पेश कर रही है। पिछली यूपीए सरकार के समय वामपंथी ताकतें इन कदमों को कुछ हद तक रोकने में सफल रही थीं क्योंकि वह सरकार वामपंथ के समर्थन पर निर्भर थी। लेकिन पिछले लोक सभा चुनावों में वामपंथ को धक्का लगा है। रिपोर्ट में वामपंथ और विशेष रूप से सीपीआइ(एम) पर पश्चिम बंगाल में बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की।

कामकाजी महिलाओं के हालात को बयान करते हुए रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पिछले दो दशकों में श्रम शक्ति में महिलाओं की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वास्तव में वर्ष 2004–05 में तो वर्ष 1983 के मुकाबले इसमें कुछ ही सामने आई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम में युवा महिलाओं की भागीदारी घटी है जबकि शहरी क्षेत्रों में युवा महिलाएं पहले के मुकाबले कम वेतनों पर रोजगारों में शामिल हो रही हैं। सिले–सिलाए कपड़ों के बाद महिलाओं के रोजगार में अकेली सबसे ज्यादा बढ़ोतरी घरेलू मजदूरों के रूप में हुई है जो शहरी महिला कामगारों के लिए देश में रोजगार की अकेली सबसे बड़ी श्रेणी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो तिहाई और शहरी क्षेत्रों में 48 प्रतिशत महिलाएं स्व–रोजगार में लगी हैं। लाखों महिलाएं घरेलू मजदूरों के रूप में काम कर रही हैं। घरेलू मजदूरों के बीच 10 राज्यों में सीआइटीयू द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि घरेलू मजदूरों की औसत मासिक आय केवल 538 रुपए है। रोजाना दस घण्टे तक कमरतोड़ काम करने, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों की मदद भी शामिल होती है, के बाद उन्हें दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है।

आइटी से सम्बन्धित सभी गतिविधियों में महिला कामगारों की संख्या कुल षहरी महिला कामगारों की संख्या का केवल 0.3 प्रतिशत ही है। इसी तरह सभी वित्तीय गतिविधियों जिनमें बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र की दूसरी गतिविधियां शामिल हैं, में महिला कामगारों की संख्या कुल शहरी महिला कामगारों की संख्या का केवल 1.4 प्रतिशत हिस्सा ही है।

रिपोर्ट में गहरी चिंता के साथ यह नोट किया गया था कि वेतन तथा पदोन्नति के अवसरों के मामले में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव जारी है और यह भेदभाव केवल असंगठित क्षेत्र में अशिक्षित महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में नियमित काम और प्रोफैशनल तथा तकनीकी काम में भी यह भेदभाव जारी है और महिला कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता है, जहां उत्पादकता में किसी तरह की भिन्नता का कोई प्रमाण नहीं है। खुद सरकार महिला कामगारों का शोषण कर रही है जैसे आंगनवाड़ी मजदूरों तथा सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और मिड–डे मील मजदूरों आदि का वह इसी तरह शोषण कर रही है और उन्हें मजदूर तक मानने से इन्कार कर रही है और इन्हें ''सोशल वर्कर'' तथा ''कार्यकर्ता'' आदि का ही नाम दिए हुए है और या तो उन्हें वेतन ही नहीं दे रही है और यदि दे रही है तो बहुत ही मामूली वेतन ही दे रही है।

रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सीआइटीयू तथा कामगार महिला समन्वय समिति के निरंतर प्रयासों के चलते सीआइटीयू की महिला सदस्यता में राष्ट्रीय स्तर पर और अधिकतर राज्यों में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2008 में सीआइटीयू के 49,90,289 सदस्यों में से 12,69,509 सदस्य महिलाएं थीं, जिससे उसकी कुल सदस्य संख्या में 25.43 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की जा सकी है जबकि वर्ष 2005 में यह सदस्य संख्या 22.7 प्रतिशत थी। असंगठित मजदूरों और विशेष तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आाशा कार्यकर्ताओं, मिड–डे मील मजदूरों आदि में सीआइटीयू की बढ़ी हुई गतिविधियों ने इस बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया है।

सीआइटीयू की गतिविधियों में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में लगभग सभी राज्यों में अच्छी–खासी बढ़ोतरी हुई हैं। हिन्दी भाषी राज्यों समेत अनेक राज्यों में सीआइटीयू की लामबंदियों में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत या इससे अधिक रही है, फिर चाहे वे संघर्ष के कार्यक्रम हों या फिर सम्मेलनों के समय आयोजित की जाने वाली आम सभाएं हों। सीआइटीयू के नेतृत्व में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। लगभग सभी राज्यों में सीआइटीयू राज्य समितियों में कम से कम एक महिला पदाधिकारी चुनी गई है। अनेक राज्यों में तो राज्य स्तर पर 3 से 5 तक महिला पदाधिकारी चुनी गई हैं। जिला स्तर पर सीआइटीयू की जिला समितियों में महिलाएं अध्यक्ष तथा महासचिव के रूप में चुनी गई हैं। इसके साथ ही यह नोट किया गया कि महिलाओं की सदस्य संख्या तथा भागीदारी के मुकाबले सीआइटीयू के निर्णयकारी निकायों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाए जाने की जरूरत है।

रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जहां अनेक राज्यों में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति काफी प्रभावी ढंग से काम कर रही है और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर नियमित ध्यान केन्द्रित कर रही है और उन्हें संगठित करने के प्रयास कर रही है, वहीं अनेक राज्यों में सीआइटीयू राज्य समितियों ने कामकाजी महिलाआ समन्वय समितियों का गठन ही नहीं किया है। रिपोर्ट में सीआइटीयू के इस निर्णय को फिर से दोहराया गया था कि सीआइटीयू की सभी राज्य समितियां राज्य स्तर पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं को सीआइटीयू के सांगठनिक दायरे में लाया जाएगा।

रिपोर्ट पर हुई बहस में 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहस में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट का समर्थन किया। उन्होंने कामगार महिलाओं के बीच काम करने और कामगार महिलाओं में सीआइटीयू के काम को आगे बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देते समय अपने अनुभवों के बारे में बताया। संयोजक द्वारा बहस का समापन किए जाने के साथ ही कामगार महिलाओं के मांग पत्र, कामों और सीआइटीयू को की गई सिफारिशों को कन्वेंशन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

कन्वेंशन ने सीआइटीयू का आह्वान किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि सीआइटीयू से सम्बद्ध सभी यूनियनें **2010 के साल को अन्तर्राट्रीय महिला दिवस के भाताब्दी वर्श के रूप में मनाएं**। यह दिवस समान वेतन, आठ घण्टे के कामकाजी दिवस और संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की तीन मांगों को केन्द्र में रख कर मनाया जाना चाहिए।

कन्वेंशन में यह निर्णय भी लिया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में कामगार महिलाओं की साझा मांगों पर अभियान चलाया जाए और **10 अप्रैल को कामरेड विमल रणदिवे की साल गिरह के अवसर पर देश भर में प्रदर्शनों का आयोजन** किया जाए। कन्वेंशन ने सभी राज्यों में आशा तथा मिड्–डे मील मजदूरों को संगठित करने का निर्णय भी लिया।

कन्वेंशन ने कामगार महिलाओं में सीआइटीयू के काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सीआइटीयू के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं जिनमें कामगार महिला कार्यकर्ताओं के लिए अलग से ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करना और उन्हें नेतृत्वकारी पदों पर पदोन्नत करना, महिला होल टाइमरों की भर्ती करना और काम के लिए आवश्यक फण्ड सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। आगामी 17 से 21 मार्च तक चण्डीगढ़ में होने जा रहे सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन में इन सिफारिशों को अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।

सीआइटीयू के सचिव एस देवराय इस कन्वेंशन में पूरे समय मौजूद रहे और उन्हीं की टिप्पणी के साथ कन्वेंशन सम्पन्न हुई। अपनी टिप्पणी में उन्होंने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने आपको पूरी ताकत के साथ सामने लाएं और सीआइटीयू के निर्णयों को कामगार महिलाओं के बीच लागू करने के मामले में सक्रिय भूमिका निभाएं।

सीआइटीयू की केरल राज्य समिति के सचिव के ओ हबीब ने स्वागत समिति की ओर से कन्वेंशन को सम्बोधित किया और बताया कि सर्विस क्षेत्र की कर्मचारियों समेत राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कामगार महिलाओं ने इस कन्वेंशन को सफल बनाने के लिए हर तरह की तैयारियां करने में पहलकदमी की है, जिनमें फण्ड एकत्रित करने से लेकर हर तरह की आवश्यक व्यवस्था करना आदि सब कुछ शामिल है।

7 जनवरी को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें परम्परागत क्षेत्रों और सीआइटीयू से सम्बद्ध यूनियनों से लेकर सर्विस क्षेत्र की महिला कर्मचारियों, जिनमें राजपत्रित अधिकारी तक शामिल थीं, तक हजारों कामगार महिलाओं ने भाग लिया। हेमलता ने रैली की अध्यक्षता की। रैली को एम के पन्धे, राज्य सीआइटीयू की उपाध्यक्ष मर्सिकुट्टी अम्मा और कामगार महिला समन्वय समिति की केरल राज्य की अध्यक्ष के पी मैरी तथा महासचिव वी वी प्रसेन्ना कुमारी ने सम्बोधित किया।

समिति की 33 सदस्यीय कार्यकारिणी, जिसमें हेमलता संयोजक चुनी गईं। कार्य कारिणी में उन राज्यों से और सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया है जिनका अभी प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा और जहां राज्य स्तर पर कामगार महिला समन्वय समिति का गठन होना बाकी है।

बजट सत्र में संसद का घेराव

आइफा कार्यसमिति का आह्वान

आइफा कार्यसमिति में निर्णय लिया गया कि न्यूनतम मानदेय, सामाजिक सुरक्षा लाभ, नियमितिकरण व किसी भी प्रकार के निजीकरण के विरोध की मांगों पर केंद्रित करते हुए संसद के बजट सत्र के दौरान आंगनवाड़ी कर्मचारी बड़ी संख्या में लामबंद होंगे।

आइफा कार्यसमिति की बैठक 6–7 जनवरी 2010 को केरल की राजधानी तिरूवनंतपुरम, के बीटीआर मेमोरियल में हुई। 13 राज्यों से 34 सदस्यों एवं अतिथियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता आइफा अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने की। बैठक में छठे अधिवेशन की समीक्षा की गई और पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन को सफलतापूर्वक अधिवेशन आयोजित करने और बहुत अच्छी व्यवस्था करने के लिए बधाई दी गई। नेताओं, कार्यकर्ताओं व यूनियन के सदस्यों जिन्होंने अधिवेशन को आयोजित करने में पंजाब सीआइटीयू राज्य समिति की बहुत ही मामूली सहायता व दिशा निर्देशों के साथ स्वयं अपने दिन व रात एक कर दिए थे, की खूब प्रशंसा की गई। अधिवेशन के लिए भोजन व रहने इत्यादि व्यवस्था करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने स्वयं फंड एकत्र किया। विभिन्न जिलों के बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारी वालंटियर के रूप में कार्य करने के लिए चण्डीगढ़ आए थे। अधिवेशन के दौरान विशाल रैली व सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए कार्यसमिति ने यूनियन को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि इस रैली व सार्वजनिक बैठक से न केवल प्रतिनिधि बल्कि देशभर के आंगनवाड़ी कर्मचारी प्रभावित हुए।

कार्यसमिति बैठक में अधिवेशन के दिशा निर्देशों पर विचार किया गया। अधिवेशन के दिशा निर्देश थे– आईसीडीएस को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करो व संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करो और अपने प्रयत्नों को संघर्ष, शिक्षा, संगठन से जोड़ो तथा सचंतन, प्रतिबद्ध, सक्षम कार्यकर्ता का विकास करो। सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वयं सहायता समूहों, माता कमेटियों, पंचायतों व निगमों आदि के सुपुर्द कर रही है, इसके खिलाफ व नियमितिकरण, न्यूनतम मानदेय व सामाजिक सुरक्षा लाभों की मांगों पर संघर्ष तेज करने का फैसला बैठक में लिया गया।

कार्यसमिति में रिपोर्ट किया गया कि आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के नज़दीकी क्षेत्रों में सरकार द्वारा डे केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। वहां यह भी घोषणा की गई है कि राजीव विद्या मिशन के अन्तर्गत अच्छी व्यवस्था के साथ 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगें। इन सभी केंद्रों में अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें फल, अण्डे आदि भी शामिल होंगे परन्तु लाभार्थियों को 50रू प्रतिमाह चंदा देना होगा। डिफॉल्टर्स पर ब्याज भी लगाया जाएगा। आईसीडीएस को समाप्त करने के प्रयत्नों व सेवाओं के बदले शुल्क की आइफा कार्यसमिति कड़ी निंदा करती है।

आइफा कार्यसमिति में सूचित किया गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर अब तक प्रधानमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री को सैंकड़ो टेलिग्राम भेजे जा चुके हैं। कार्यसमिति में यह निर्णय लिया गया कि सभी परियोजना कमेटियों द्वारा टेलिग्राम भेजने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा जिसके साथ–साथ एसएमएस व ईमेल का इस्तेमाल करते हुए व सभी सांसदों से, चाहे वे किसयी भी दल के क्यों ना हों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पत्र लिखवाकर सरकार के समक्ष आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को उठाया जाएगा। कार्यसमिति में यह भी निर्णय लिया गया कि देशभर में जनवरी माह में परियोजना स्तरीय प्रदर्शन व 19 फरवरी को जिला स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और जिला कलैक्टर को ज्ञापन सौपें जाएंगे।

आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति को रेखांकित करने के लिए आइफा द्वारा देशभर में एक अध्ययन संचालित करने का निर्णय लिया गया। कमेटी ने निर्णय लिया कि प्रत्येक क्षेत्र/सर्कल में जहां भी हमारी यूनियन विद्यमान है, दो केंद्र चुने जाएंगे व वहां आंगनवाड़ी की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया जाएगा जैसे आंगनवाड़ी इमारतें, पानी व शौचालय की उपलब्धता, उपलब्ध कराए जाने वाले पूरक पोषण की गुणवत्ता, नियमितता व मात्रा, शिक्षा व मेडिकल किट, वेतन भुतान की नियमितता, यात्रा व दैनिक भत्ता, ईंधन व मसालों पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय का भुगतान तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने में पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों व माता कमेटियों इत्यादि का व्यवहार। सर्वे के तथ्यों को संजो कर विश्लेषण किया जाएगा व मार्च माह में जिला कलैक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन में जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को सुधारने के सुझाव दिए जाएंगे।

आइफा की सभी राज्य कमेटियों को कार्यकर्ताओं की पहचान कर ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया। राज्य कमेटियों को निर्देश दिया गया कि सहायिकाओं का विकास करने व प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वे यूनियन के निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

सीआइटीयू के राज्य सम्मेलन

दिल्ली

सीआइटीयू का तेरहवां दिल्ली राज्य सम्मेलन 15–17 जनवरी, 2010 को उत्तरी दिल्ली के सराय पीपल थला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन स्थल का नामकरण कामरेड चित्तब्रत मजुमदार नगर किया गया था। सीआइटीयू के सचिव कामरेड तपन सेन संसद सदस्य ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन ने कुल 232 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महासचिव कामरेड मोहन लाल ने बारहवें सम्मेलन के बाद की अवधि की सीआइटीयू की गतिविधियों, उपलब्धियों तथा संघर्षो पर आधारित रिपोर्ट पेश की तथा कोषाध्यक्ष कामरेड एम एल मल्कोटिया ने आय–व्यय का ब्यौरा पेश किया। महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में 55 साथियों ने भाग लिया। मोहन लाल द्वारा बहस का जवाब दिए जाने के बाद महासचिव तथा कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। सम्मेलन ने आसमान छूती महंगाई के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश व बैंको और बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी की बढ़ोतरी के खिलाफ एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मजदूरों की मांगों पर 22–23 अप्रैल 2010 को दो दिवसीय हड़ताल के प्रस्ताव पारित किए। समापन सत्र में नए पदाधिकारियों एवं राज्य समिति के सदस्यों का चुनाव किया गया। सुधीर कुमार अध्यक्ष, मोहन लाल महासचिव और एम एल मल्कोटिया कोषाध्यक्ष चुने गए।

(रिपोर्टः मोहन लाल)

उत्तराखण्ड

सीआइटीयू का दो दिवसीय उत्तराखण्ड राज्य सम्मेलन 19–20 दिसम्बर, 2009 को चित्तब्रत मजुमदार नगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के पहले दिन सम्मेलन स्थल से जोरदार रैली निकाली गई जो गांधी मैदान में पहुंच कर विशाल जन सभा में तबदील हो गई। जन सभा को सीआइटीयू के सचिव और राज्य सभा के सदस्य तपन सेन ने सम्बोधित किया।

सत्य प्रकाश द्वारा ध्वजारोहण किए जाने के बाद प्रतिनिधि सत्र शुरू हुआ जिसका उद्घाटन कामरेड तपन सेन ने किया। कामरेड वीरेन्द्र भण्डारी की ओर से पिछले तीन वर्ष के कामों तथा उपलब्धियों की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भविष्य के कार्यों को कड़ाई से पूरा करने, मजदूरों में वर्गीय चेतना बढ़ाने और वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान मजदूर वर्ग से किया गया था। रिपोर्ट पर बहस में 9 महिलाओं सहित कुल 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहस के बाद रिपोर्ट व कोषाध्यक्ष द्वारा पेश की गई लेखा वक्तव्य सर्वसम्मति से पारित कर दी गई।

समापन सत्र में नये पदाधिकारियों और कार्य कारिणी के सदस्यों का चुनाव किया गया। सत्य प्रकाश अध्यक्ष, वीरेन्द्र भण्डारी महासचिव तथा महावीर शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए। पुरुषोत्तम पुरी को संगठन सचिव बनाया गया। सम्मेलन ने सीआइटीयू महाधिवेशन के लिए नौ प्रतिनिधियों और चार वैकल्पिक प्रतिनिधियों का चुनाव भी किया।

(रिपोर्टः वीरेन्द्र भण्डारी)

हिमाचल प्रदेश

दसवां हिमाचल प्रदेश राज्य सम्मेलन 25–27 दिसम्बर 2009 को ऊना में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन स्थल का नाम कॉमरेड ई बालानन्दन नगर रखा गया था। सम्मेलन की शुरूआत 25 दिसम्बर को मजदूरों की विशाल सभा के साथ हुई। जन सभा के मुख्य वक्ता सीआइटीयू के सचिव तथा संसद सदस्य तपन सेन थे। उनके अलावा सीआइटीयू के पूर्व राज्याध्यक्ष राकेश सिंघा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह तथा राज्य सीआइटीयू के प्रमुख नेताओं ने भी जन सभा को सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता सीआइटीयू के जिला सचिव गुरनाम सिंह ने की।

सीआइटीयू के राज्य अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्वारा लाल झण्डा फहराए जाने के बाद प्रतिनिधि सत्र आरम्भ हुआ। सम्मेलन में 233 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तपन सेन द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।

सीआइटीयू के राज्य महासचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने सम्मेलन में नौवें सम्मेलन की बाद की अवधि में सीआइटीयू की गतिविधियों, कार्यों तथा उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट पेश की जिस पर बहस में 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोषाध्यक्ष जगत राम की ओर से आय–व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। बहस के बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर 11 प्रस्ताव पारित किए गए।

सम्मेलन में 51 सदस्यीय राज्य समिति तथा 17 सदस्यीय राज्य सचिव मण्डल का चुनाव किया गया। जगत राम अध्यक्ष, कश्मीर सिंह ठाकुर महासचिव तथा रमाकान्त मिश्र वित्त सचिव चुने गए।

(रिपोर्टः लखन पाल शर्मा)

गुजरातः आंगनवाड़ी कर्मचारियों की राज्य स्तरीय रैली

आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की अखिल भारतीय फैडरेशन से सम्बद्ध गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन ने 17 दिसम्बर 2009 को अहमदाबाद में विशाल रैली का आयोजन किया। राज्य के सभी जिलों से बड़ी संख्या में आई आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने इस रैली में भाग लिया। पूरे राज्य में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के दैनिक शोषण को रोकने; प्रस्तावित निजीकरण को लागू नहीं करने; सेवानिवृत्ति पर क्रमशः 1,00,000 रुपए और 75,000 रुपए का भुगतान करने के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के वादे को लागू करने; ''सखी मण्डल'' जैसी बाल विकास और पोषाहार की मुख्य गतिविधि जिसका हिस्सा है या जो इसमें शामिल नहीं है, गतिविधियों के लिए यूनिफार्म पहनने को खत्म करने या इसे अनिवार्य नहीं बनाने; सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ा कर महाराष्ट्र की तरह 65 साल करने; पदोन्नति के लिए आयु सीमा बढ़ाने और सेवानिवृत्त सेविकाओं को एक्सग्रेशिया का भुगतान करने की सात सूत्री मांगों को लेकर यह रैली आयोजित की गई थी। यह रैली अस्टोडया से शुरू हुई और शहर के विभिन्न भागों से होते हुए सरदार बाग पहुंच कर जनसभा में बदल गई। रैली में शामिल आंगनवाड़ी कर्मचारियों की संख्या पांच हजार से अधिक थी। सरकार की ओर से रैली को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गईं, धमकियां दी गई और दबाव डाले गए; यहां तक कि ताकत का इस्तेमाल भी किया गया किन्तु वह बुरी तरह असफल हुई। आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की अखिल भारतीय फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा, आंगनवाड़ी यूनियन के राज्य संयोजक अरुण मेहता और गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष चंदूभाई लखानी के अलावा गुजरात के दो पूर्व मुख्य मंत्रियों सुरेश मेहता और शंकर सिंह बघेला ने भी रैली में भाग लिया और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सम्बोधित किया।

आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन का धरना-प्रदर्शन

फिरोजाबाद में आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराए के भुगतान की मांग को लेकर सीआइटीयू से सम्बद्ध आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से 29 दिसम्बर, 2009 को स्थानीय सुभाष तिराहे पर धरने का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता मोहिनी कुलश्रेष्ठ ने की। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट ओ के सिंह ने उन्हें भुगतान का आश्वासन देकर उनका धरना समाप्त कराया और उनका ज्ञापन लिया। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भरोसा दिया कि युद्ध स्तर पर बजट मंगा कर किराए का भुगतान कराया जाएगा। आंगनवाड़ी कर्मचारियों का कहना था कि वे समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वर्षो से कार्यरत हैं। क्योंकि आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास स्थायी भवन नहीं हैं इसलिए उन्हें बार–बार बदला जाता है। यही नहीं, किराए का भुगतान न होने के कारण भवन मालिकों की ओर से उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। भवन का किराया अगस्त 2007 से नहीं दिया गया है जबकि पड़ोसी जनपदों में पहले की भांति किराए का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर मजिस्ट्रेट के इस आश्वासन के बाद भी किराए का शीघ्र भुगतान नहीं कराया गया तो आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जाएगा।

इस अवसर पर धरनाकारियों को सीआइटीयू नेता नवल सिंह, पुत्तू सिंह राठौर तथा आशा कुलश्रेष्ठ इत्यादि नेताओं ने सम्बोधित किया।

अखिल भारतीय असंगठित क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक

सीआइटीयू की असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वय समिति की एक बैठक 30 नवम्बर 2009 को बी टी रणदिवे भवन नयी दिल्ली में हुई। यह बैठक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस) के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। सीआइटीयू की उड़ीसा राज्य समिति के महासचिव विष्णु मोहन्ती ने बैठक की अध्यक्षता की। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे तथा सचिव तपन सेन संसद सदस्य ने भी बैठक में भाग लिया। यह सूचना दी गई कि सीआइटीयू सचिव मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार के हेमलता एआइएससीसी की संयोजक के रूप में काम करेंगी।

संयोजक की ओर से दिए गए एक संयुक्त वक्तव्य में बताया गया कि वर्तमान में सीआइटीयू की सदस्य संख्या का 60 प्रतिशत भाग उन मजदूरों का है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तथापि देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की विराट संख्या को देखते हुए हमें इन मजदूरों को और अधिक संख्या में संगठित करने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास करने होंगे; हमें उनके हितों के लिए संघर्ष चलाने होंगे ताकि मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ सके। यह भी बताया गया कि कुछ विशेष मापदण्डों के आधार पर उन श्रेणियों को संगठित करने के मामले में पहल दी जानी चाहिए जिनकी राज्यवार उपस्थिति को महसूस किया जाता हो, जो सरकारों पर दबाव डालने में सक्षम हों जैसे आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, मिड–डे मील वर्कर, ग्राम सेवक/चौकीदार, सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा श्रमिक अथवा ठेका मजदूर इत्यादि। परिवहन कर्मचारियों, मण्डियों में काम करने वाले मजदूरों, सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूरों, पालिका/पंचायत मजदूर इत्यादि अपने संगठित संघर्षों के माध्यम से; मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवाओं में काम करने वाले मजदूरों का आधुनिक उद्योगों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों, वस्त्र उद्योग में काम करने वाले मजदूरों जिनमें गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर, ऑटो इण्डस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों, आइटी तथा आइटीईज कर्मचारियों इत्यादि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होता है।

नोट में कारोबार/क्षेत्र (सेगमैंट) वार यूनियनों के गठन और उनके लिए समुचित एवं योग्य कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने तथा वित्तीय संसाधन जुटाने के महत्व पर जोर दिया गया था। वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं अथवा कार्यक्रम चालू हैं, उनसब की जानकारी सदस्यों को दी जानी चाहिए।

वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए जो भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं अथवा कार्यक्रम हैं, भले ही उनमें कुछ भी कमियां क्यों न हों, उनके बारे में सीआइटीयू के कार्यकर्ताओं को जानकारी देने और इसके लिए उनके बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सीआइटीयू की राज्य समितियों को विशेष प्रयास करने होंगे। इन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिले इसे यकीनी बनाने के लिए सीआइटीयू कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर अमल में जो कमजोरियां पाई जाती हैं, उन्हें सीआइटीयू केन्द्र के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि इन मुद्दों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठकों में उठाया जा सके।

सीआइटीयू केन्द्र की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों पर एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन के बाद अप्रैल–मई 2010 में किया जाएगा।

बैठक में असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पर एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया गया और उस अभियान में राष्ट्रीय कोष का गठन करने, गरीबी की रेखा के नीचे का कसौटी को रद्द करने, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की कानूनी तौर पर गारंटी देने जैसी मांगों पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के समय सामूहिक सभाओं, स्थानीय स्तर पर प्रदर्शनों इत्यादि का आयोजन सभी राज्यों में किया जाएगा और मजदूरों के प्रतिनिधि मण्डल मांगों के बारे में अधिकारियों से मिलेंगे। इन कार्यक्रमों की परिणति राज्य विधान मण्डलों के बजट अधिवेशनों के समय राज्य स्तरीय प्रदर्शनों के रूप में होगी।

इस अभियान के बाद मई–जून 2010 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कक्षाओं में महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में सीआइटीयू की राज्य समितियों को आह्वान किया गया कि वे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं विशेष तौर पर महिला कार्यकर्ताओं का विकास करें और उन्हें पदोन्नति देकर यूनियनों के नेतृत्वकारी पदों पर लाएं।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों का संसद के आगे विशाल धरना
5 मार्च को सत्याग्रह और जेल भरो का आह्वान

सीआइटीयू, एटट, बीएमएस, इंटक, एचएमएस, एआइयूटीयूसी, टीयूसीसी, ऐक्टू तथा यूटीयूसी इत्यादि नौ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से महंगाई को काबू न पाने, श्रम कानूनों के उल्लंघन की रोकथाम न किए जाने, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय कोष का गठन न करने, मंदी के नाम पर हो रही रोजगार क्षतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली इकाईयों के शेयरों का विनिवेश किए जाने के विरोध में 16 दिसम्बर, 2009 को संसद के आगे धरना दिया गया। धरने में दस हजार मजदूरों ने भाग लिया। राज्यों की राजधानियों तथा औद्योगिक केन्द्रों में भी इसी प्रकार के संयुक्त धरने दिए गए।

सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे के अलावा बीएमएस के नेता आर वी सुब्बा राव, इंटक के नेता एम राघवैय्या, एटक के नेता गुरूदास दासगुप्ता, एचएमएस के उमराव मल पुरोहित, एआइयूटीयूसी के नेता आर के शर्मा, टीयूसीसी के एस पी तिवारी, एआइसीसीटीयू के नेता स्वप्न मुखर्जी और यूटीयूसी के नेता अबनी राय ने धरनाकारियों को सम्बोधित किया।

एम के पंधे तथा दूसरे नेताओं ने धरनाकारियों को सम्बोधित करते हुए मजदूर आंदोलन की पांच मांगों को सुलझाने के लिए कोई कदम न उठाए जाने और उसके उदासीन रुख पर गहरा आंक्रोष व्यक्त किया।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है और उन्होंने 5 मार्च, 2010 को देश भर में सत्याग्रह/जेल भरो कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा भी की। उस दिन दस लाख से अधिक मजदूर सत्याग्रह करेंगे अथवा गिरफ्तारियां देकर मांग करेंगे कि...

♦ उचित कदम उठा कर और सभी जगह वितरण को यकीनी बना कर अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते दामों को रोको।

♦ मंदी से प्रभावित सेक्टरों में सम्बन्धित उपक्रमों का Stimulus (उत्प्रेरक) पैकेज देते समय रोजगार की सुरक्षा के लिए भी ठोस एवं कारगर कदम उठाओ।

♦ बिना किसी अपवाद अथवा छूट के सभी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करो और श्रम कानूनों का उल्लंघन होने पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

♦ असंगठित क्षेत्र में क़ाम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कार्यक्रमों को समान ढंग से लागू किए जाने के मामले में गरीबी की रेखा पर आधारित सभी प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को समाप्त करने के लिए कदम उठाओ और असंगठित क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग तथा श्रम सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप संविदा (ठेका) एवं नैमित्तिक श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय फ्लोर लेवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय कोष बनाया जाए।

♦ सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश न किया जाए और इसकी बजाए उनके बढ़ते आरक्षित कोष एवं अतिरिक्त धन का उपयोग उनके विस्तार और उनका आधुनिकीकरण करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से किया जाए।

अखिल भारतीय मिड डे मील वर्कर्स समन्वय समिति

अखिल भारतीय मिड डे मील वर्कर्स समन्वय समिति की पहली बैठक 28 नवम्बर 2009 को नई दिल्ली में बी टी रणदिवे भवन में हुई।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक व केरल – 6 राज्यों से तथा अखिल भारतीय केंद्र के साथियों ने इस बैठक में भाग लिया। सीआइटीयू उपाध्यक्ष जे मर्सीकुट्टी अम्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र से ए आर सिंधु ने रिपोर्ट पेश की। मिड डे मील कार्यकर्ताओं तथा रसोइये (हैल्पर) को 1000रू प्रतिमाह मानदेय देने के कैबिनेट के निर्णय और मिड डे मील कार्यकर्ताओं को संगठित करने की स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया गया।

इस कमेटी की संयोजिका ए आर सिंधु हैं।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

1. 5 प्रमुख मांगों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आह्वानित 16 दिसम्बर के कार्यक्रमों में भागीदारी
2. घोषित किए गए 1000रू प्रतिमाह मानदेय को तुरन्त लागू करवाने सहित विभिन्न मांगों पर केंद्र से एक प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री से बैठक
3. कैबिनेट के निर्णय को संगठन की उपलब्धि मानकर, अन्य मांगों को लेकर व निजीकरण के विरोध में मिड डे मील कार्यकर्ताओं के बीच अभियान, अभियान की समाप्ति पर जिला शिक्षा अफसरों व राज्य शिक्षा मंत्रियों के कार्यालयों पर प्रदर्शन
4. हमारी विद्यमान यूनियनों का विस्तार तथा जहां हमारी यूनियनें नही हैं वहां इस अवसर का लाभ उठाकर यूनियन का गठन
5. सभी सक्रिय यूनियनों का छः माह के भीतर पंजीकरण
6. वर्ष 2010 में देशभर में एक लाख सदस्य बनाने का प्रयत्न। बैठक में उपस्थित सभी राज्यों ने वर्ष 2010 की सदस्यता का कोटा लिया।

सीआइटीयू प्रैस विज्ञप्ति
मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय पर

हमारे देश में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति खराब है जिसमें आधे से अधिक कुपोषण से पीड़ित हैं। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मिड डे मील योजना आरम्भ की गई थी। परन्तु कैबिनेट द्वारा इस योजना के फूड नार्मस् को पुनः तय करना काफी समय से लम्बित है। हालांकि इसके अन्तर्गत दालों की मात्रा बढ़ाकर 25 से 30 ग्राम और सब्जियों की मात्रा 65 ग्राम से बढ़ाकर 75 ग्राम कर दी गई है। तेल और वसा की मात्रा कम कर्के 10 से 7.5 ग्राम कर दी गई है। इस प्रकार के निर्णय वैज्ञानिक आधार पर करने की आवश्यकता है। यदि दालों, सब्जियों तथा आवश्यक वस्तुओं के आसमान छूते दामों पर नजर डाली जाए तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सरकार सुनिश्चित करे कि विद्यालय जा रहे बच्चों को समान मात्रा में भोजन मिले ताकि घर में उनकी डाइट में आने वाली कमी को पूरा किया जा सके।

22 लाख से अधिक प्रत्येक कुक–कम–हैल्पर को 100रू प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने का सरकार का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इससे इन कर्मचारियों की नियमित आय की व्यवस्था हो सकी। परन्तु यह बहुत ही दुःखजनक बात है कि इतनी मामूली राशि को सरकार ने पर्याप्त माना और वो भी ऐसे समय में जब रेगा के तहत सरकार न्यूनतम मजदूरी 100 रू प्रतिदिन उपलब्ध करा रही है।

निजीकरण की आंधी में मिड डे मील स्कीम को शामिल करके इसे गैर सरकारी संगठनों व अन्य संगठनों को सौंपा जा रहा है। फलस्वरूप स्कूल जाने वाले बच्चे ताज़ा पकाए हुए स्वस्थ भोजन से वंचित हैं और रसोइयों व हैल्परों को भी अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। सरकार के इस कदम की सीआइटीयू कड़ी निंदा करता है। सीआइटीयू अपनी मांगें दोहराता है कि मिड डे मील कर्मचारियों को विद्यालय के ग्रेड 4 के कर्मचरियों के रूप में नियमित किया जाए और उसी के अनुसार मानदेय दिया जाए। तब तक इन्हें कम से कम रेगा के तहत कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन जितना वेतन दिया जाए या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए।

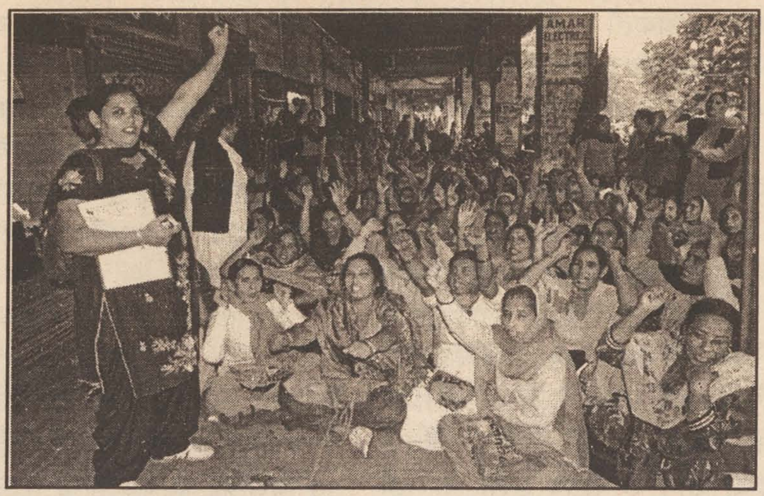

आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की ओर से पंजाब विधान सभा के दौरान 8 दिसम्बर को डायरैक्टर के दफतर के सामने धरना दिया गया और बढ़ी योजना के साथ 9 दिसम्बर को मुख्यमंत्री के निवास पर प्रदर्शन किया गया। उनके निवास स्थान तक 87 कार्यकर्ता पहुंच गए थे और एक घंटा कोठी के सामने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के ओएसडी ने मांगपत्र प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के साथ बैठक तय की गई।

सभी साथियों को मांगपत्र देने के समय गिरफतार कर लिया गया और थाने में बंद कर दिया गया परन्तु यूनियन के दबाव में आकर एसडीएम के सामने पेश करके जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसी समय यूनियन नेताओं ने एलान कर दिया कि यदि दिए गए आश्वासन के तहत सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री द्वारा मांगों को हल नही किया गया तो 25 दिसम्बर को मुख्यमंत्री का घेराव फतेहगढ़ साहिब में किया जाएगा। घेराव के डर से 28 दिसम्बर को मीटिंग तय की गई पर सरकार बार बार तिथि बदलती रही।

6 जनवरी, 10 जनवरी, आखिर 16 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई जिसमें सरकार द्वारा सुपरवाइज़र की भर्ती, सीनियरता और उम्र की हद खत्म करने का, हरियाणा की तरह सालाना वृद्धि लगाने का ठोस आश्वासन दिया गया।

उड़ीसा राज्य सम्मेलन

उड़ीसा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स एसोसिएशन का तीसरा राज्य सम्मेलन 5–6 दिसम्बर 2009 को भुवनेश्वर में हुआ। प्रतिनिधि सत्र से पूर्व 5 दिसम्बर 2009 को राज्य विधान सभा के समीप एक रैली आयोजित की गई जिसमें 11 जिलों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। यूनियन के अध्यक्ष लम्बोदर नायक ने रैली की अध्यक्षता व आइफा महासचिव हेमलता व उड़ीसा सीआइटीयू राज्य समिति के अध्यक्ष बिष्णु मोहन्ती के साथ–साथ नमिता पांडा व संगीता रे व संगठन के अन्य नेताओं ने रैली को संबोधित किया।

प्रतिनिधि सत्र की शुरूआत हेमलता द्वारा सीआइटीयू के झंडा रोहण व शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित करने से हुई। लंबोदर नायक, नमिता पांडा, वंदना सारंगी, शकुतंला सेनापति व कृष्णा समेत पांच सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने सम्मेलन की कार्यवाही को अंजाम दिया। हेमलता ने सम्मेलन का उदघाटन किया और संगठन को मजबूत बनाने व आईसीडीएस को बचाने के साथ–साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लंबित मांगों को प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंनें केंद्र में शासित यूपीए सरकार व राज्य में शासित भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी व जन विरोधी नीतियों को के खिलाफ ट्रेड यूनियन की धारा में शामिल होकर संघर्ष करने की आवश्यकता को विस्तार से समझाया। उन्होंने प्रतिनिधियों का ध्यान आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं को उठाने की ओर भी खींचा।

यूनियन की महासचिव कुमुदिनी बेहेड़ा ने बालासोर में हुए पिछले सम्मेलन से अब तक की गतिविधियों का ब्यौरा पेश किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए 15 प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया और संगठन को मजबूत बनाने के ठोस सुझाव दिए। कुमुदिनी बेहेड़ा द्वारा बहस जवाब दिए जाने के बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित कर दी गई।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उड़ीसा राज्य समिति की महासचिव पुष्पा पांडा और सीआइटीयू से बिष्णु मोहंती ने सम्मेलन को बधाई दी।

सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि आगामी वर्ष में राज्य सभा के बजट सत्र के दौरान एक विशाल मार्च आयोजित की जाएगी। सम्मेलन में पदाधिकारियों व राज्य कमेटी की एक नई टीम का चुनाव किया गया जिसमें राधा रमन सारंगी को अध्यक्ष, कुमुदिनी बेहेड़ा को कार्यकारी अध्यक्ष, संगीता रे को महासचिव, नमिता पांडा को ऑर्गनांसिंग सचिव व रश्मि को कोषाध्यक्ष चुना गया।

अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता समन्वय समिति

अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता समन्वय समिति की पहली बैठक 28 नवम्बर 2009 को नई दिल्ली में बी टी रणदिवे भवन में हुई।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, कर्नाटक, केरल व उत्तराखंड – 6 राज्यों से तथा अखिल भारतीय केंद्र से सीआइटीयू सचिव दीपंकर मुखर्जी के अलावा ए आर सिंधु व रंजना निरूला ने इस बैठक में भाग लिया। सीआइटीयू उपाध्यक्ष जे मर्सीकुट्टी अम्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति एवं राज्यों में आशा यूनियनों की गतिविधियों पर रंजना निरूला ने रिपोर्ट पेश की। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा काम के समय झेली जा रही समस्याओं, प्रोत्साहन राशि के भुगतान, तथा विभिन्न राज्यों में वर्तमान संगठनात्मक स्थिति पर गहन विचार किया गया।

आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों जहां आशा यूनियन पंजीकृत हैं, में आशाओं की मांगों को लेकर बहुत से प्रदर्शन किए गए व अभियान भी चलाए गए, जिसके फलस्वरूप राज्यों में आशाओं को कुछ मिल रहा है। यूनियन के 14000 सदस्य है।

केरल में वर्ष 2009 में 10 जिलों में जिला एवं राज्य स्तरीय कन्वेंशनें आयोजित की गईं।

हरियाणा में राज्य कन्वेंशन हो चुकी है और 9 जिलों में कमेटियां भी बनाई जा चुकी हैं।

अन्य राज्यों में जहां यूनियन बनाने और पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, वहां भी आशाओं की मांगों पर प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

जनवरी 2009 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित आशाओं को 500रू के मानदेय के लागू न होने के कारण सभी राज्यों में असंतोष है। सदस्यों ने महसूस किया कि यह राशि बहुत ही मामूली है और हमारी मांग कम से कम 1000रू प्रतिमाह मानदेय होनी चाहिए।

आशाओं की अन्य मांगें हैं

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को स्थाई कार्यक्रम बनाया जाए**
- **आशाओं को गांव स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में नियमित किया जाए**
- **तब तक आशाओं को मासिक मानदेय भुगतान किया जाए**
- **सभी प्रोत्साहन राशियों व टीए/डीए का नियमित भुगतान किया जाए**
- **बैंकों द्वारा भुगतान किया जाए**
- **सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं।**
- **सभी पीएचसी में आशाओं के लिए कमरा**
- **आशाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए**

इस कमेटी की संयोजिका रंजना निरूला हैं।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

1. 5 प्रमुख मांगों पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आह्वानित 16 दिसम्बर के कार्यक्रमों में भागीदारी
2. 500रू के भुगतान तथा अन्य मांगों पर एक हस्ताक्षर अभियान और जिला मैजिस्ट्रेट/ डेप्युटी कमिश्नर को ज्ञापन सहित हस्ताक्षर सौंपना। जहां भीं संभव हो जनवरी 2010 में राज्य स्तरीय प्रदर्शन व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन
3. केंद्र सरकार के समक्ष आशाओं की मांगों को उठाने के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन, यदि संभव हो तो संसद के बजट सत्र से पूर्व
4. आशा कार्यकर्ताओं/स्थानीय मांगों पर स्थानीय/जिला स्तरीय प्रदर्शन जारी रखना।
5. जहां हमारी यूनियनें नही हैं वहां यूनियन का गठन
6. विभिन्न मांगों पर केंद्र से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन
7. राज्यों में सभी यूनियनों द्वारा छः माह के भीतर पंजीकरण का प्रयत्न
8. वर्ष 2010 में देशभर में एक लाख सदस्य बनाने का प्रयत्न। बैठक में उपस्थित सभी राज्यों ने वर्ष 2010 की सदस्यता का कोटा लिया।

आइफा कार्यसमिति की बैठक

आइफा की कार्यसमिति की बैठक सीआइटीयू के 13वें अधिवेशन से एक दिन पहले 16 मार्च 2010 को चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी।

बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाएगा–

1. महापड़ाव कार्यक्रम की तैयारी
2. संयुक्त अभियान व संघर्ष
3. सदस्यता
4. अध्यक्ष की अनुमति से काई अन्य विषय

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की नौवीं कन्वेंशन मांग करती है कि ...

- महंगाई पर रोक लगाई जाए; राशन प्रणाली का सर्वव्यापीकरण और राशन प्रणाली के तहत 15 आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाए
- नरेगा का सक्रिय क्रियान्वन; नरेगा के अन्तर्गत महिला मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए
- ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए
- बजट आबंटन कर असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय फंड; असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून को लागू किया जाए और उसमें न्यूनतम कल्याण लाभ जैसे पेंशन, स्वास्थ्य मातृत्व व दुर्घटना लाभों को जोड़ा जाए जोकि उनके अधिकार हैं; असंगठित मजदूर कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए बीपीएल मापदंड हटाए जाए
- सुनिश्चित किया जाए कि विश्व आर्थिक संकट से प्रभावित क्षेत्रों के मजदूरों के रोजगार सुरक्षित हों; इन उद्योगों में मजदूरों के रोजगार संरक्षण को स्टीमुलस पैकेज के साथ जोड़ा जाए।
- सुनिश्चित किया जाए कि सेज़ से प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में सभी श्रम कानूनों का पालन हो जिसमें समान वेतन कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, मातृत्व लाभ कानून इत्यादि भी शामिल हों
- आइसीडीएस के सर्वव्यापीकरण के लिए पर्याप्त आबंटन किए जाएं जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों का ठीक प्रकार से इंफ्रासट्रक्चर भी शामिल हो; आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी–कम–क्रेच में बदला जाए।
- सुनिश्चित किया जाए कि सभी कामकाजी महिलाओं को उनकी संख्या के अनुसार उनके कार्यस्थलों पर क्रेच सुविधा उपलब्ध कराई जाए; छोटे बच्चों की माता महिला कर्मचारियों को बच्चों को खिलाने के लिए समय दिया जाए।
- सभी मजदूरों जिनमें सरकारी सेवाओं जैसे आइसीडीएस, एनआरएचएम, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि में कार्यरत महिला मजदूर भी शामिल हैं की कार्यस्थितियों में सुधार लाया जाए।
- सभी महिला मजदूरों को जिनमें असंगठित क्षेत्र की महिला मजदूर, घरेलु कामगार और खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं को मातृत्व लाभ उपलब्ध कराया जाए।
- रोजगार स्थलों पर यौन उत्पीड़न कानून तुरन्त लागू किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता का उत्पीड़न ना हो।
- महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति ना हो; किसी भी क्षेत्र में रात्रि पाली में महिलाओं को काम की अनुमति देने से पूर्व ट्रेड यूनियनों से मशविरा किया जाए; रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं को मालिक द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि कार्यस्थल सुरक्षित हो और घर तक पहुंचाने के लिए यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाए
- पीएसयूज़ के विनिवेशीकरण पर रोक लगाई जाए।

कार्यः—

- कामकाजी महिलाओं में सीआइटीयू के काम के बारे में और 2010 में इसे और आगे ले जाने के बारे में विचार हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने की पहलकदमी
- जिन उद्योगों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सीआइटीयू से संबंधित यूनियनों में महिला उप समितियां गठित करने के प्रयत्न
- राज्य स्तरीय तथा जिन जिलों में संभव हो, जिला स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समितियों के गठन व उसे सक्रिय बनाने का प्रयत्न
- महिला मजदूरों के विभिन्न भागों मुख्य रूप से आशा, मिड डे मील, घरेलु कामगार इत्यादि मजदूरों को संगठित करने के प्रयास
- कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं की पहचान व यूनियन में उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उनका विकास जिसके लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करने की पहलकदमी
- सीआइटीयू, इसकी संबद्धित यूनियनों में विभिन्न स्तरों पर निर्णायक पदों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास
- अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीआइटीयू) का तीस सालाना मनाने की समाप्ति के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में कामगार महिलाओं की साझा मांगों पर 10 अप्रैल को विमल रणदिवे की साल गिरह के अवसर पर देश भर में प्रदर्शनों का आयोजन
- सीआइटीयू के सभी प्रकाशनों को संजोकर कामकाजी महिलाओं पर एक बुकलेट का प्रकाशन

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित